तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/08/22	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र, दस्तावेज एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में काफी लम्बे समय से खसरा नं 386, रकबा 10 बीघा जो राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भूमि के नाम से दर्ज है, पर कब्जे के आधार खातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। साथ ही प्रतिवादी जो कि तहसीलदार ओसियां है के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की है

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादी का कब्जा सेटलमेंट के समय से नहीं होना बताया गया। प्रतिवादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का भी विरोध किया गया। चूंकि वादित खसरा 386, राजकीय खाते में दर्ज है एवम् भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत वादी को बेदखल करने हेतु अधिकृत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा मात्र कब्जे के आधार पर राजकीय भूमि पर खातेदारी घोषणा की मांग की गई है।

अतः पत्रावली प्रस्तुत हुई।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की है अतः प्रकरण में तर्कियात, साक्ष्य, जिरह किये जाने की आवश्यकता नहीं। चूंकि सरकारी भूमि पर खातेदारी दिये जाने बाबत राजस्व सरकार द्वारा भूमि आवंटन नियम, 1970 व राजस्व अधिनियम में प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत बनाये गये है। व-आवंटन अधिनियम 1970 में सलाहकार समिति का गठन किया गया है, यह समिति आवंटन एवं निरसन संबंधी कार्यवाई करने में सक्षम है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध तहसीलदार इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल की जाती है।

पत्रावली इसी स्तर पर समाप्त की जाकर संधारित की जावे।

[illegible]/07/2022